

मतदाता अधिकार पत्र

आपके पास निम्नलिखित अधिकार हैं:

- 1** यदि आप एक पंजीकृत मतदाता हैं, तो मतदान करने का अधिकार। आप मतदान करने के लिए पात्र हैं, यदि आप:
 - कैलिफोर्निया में रह रहे अमेरिका के निवासी हैं
 - कम-से-कम 18 वर्ष के हैं
 - वहाँ पंजीकृत हैं जहाँ आप वर्तमान में रहते हैं
 - वर्तमान में किसी गुंडागर्दी के लिए राज्य या संघीय जेल अवधि की सजा नहीं काट रहे हैं, और
 - आपको वर्तमान में किसी अदालत द्वारा मतदान करने के लिए मानसिक रूप से अक्षम नहीं पाया गया हो
- 2** मतदान करने का अधिकार, यदि आप एक पंजीकृत मतदाता हैं, भले ही आपका नाम सूची में नहीं है। आप अनंतिम मतपत्र का उपयोग करते हुए मतदान करेंगे। आपकी वोट को गिना जाएगा यदि चुनाव अधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि आप मतदान करने के लिए पात्र हैं।
- 3** मतदान करने का अधिकार यदि मतदान समाप्त होने के समय अभी भी लाइन में हों।
- 4** गुप्त मतदान करने का अधिकार किसी द्वारा आपको परेशान किए बिना या आपको यह बताए बिना कि मतपत्र पर मतदान कैसे करना है।
- 5** यदि आपने कोई गलती कर दी है, तो नया मतपत्र प्राप्त करने का अधिकार, यदि आपने पहले ही अपना मत डाल न दिया हो। आप निम्नलिखित कर सकते हैं:
 - मतदान स्थल में किसी चुनाव अधिकारी से नया मतपत्र देने के लिए कहना,
 - अपने डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र को किसी चुनाव कार्यालय में, या अपने मतदान स्थल पर नए डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र से बदलना, या
 - अनंतिम मतपत्र का उपयोग करते हुए मतदान करना।
- 6** अपना मतदान करने के लिए अपने द्वारा चुने गए किसी भी व्यक्ति से सहायता प्राप्त करने का अधिकार, आपके नियोक्ता या यूनियन के प्रतिनिधि के सिवाए।
- 7** अपना भरा हुआ डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र कैलिफोर्निया में किसी भी मतदान स्थल पर छोड़ने का अधिकार।
- 8** अंग्रेजी के सिवाए किसी अन्य भाषा में चुनाव सामग्री प्राप्त करने का अधिकार यदि आपके मतदान क्षेत्र में पर्याप्त व्यक्ति वह भाषा बोलते हैं।
- 9** चुनाव अधिकारियों से चुनाव प्रक्रियाओं के बारे में प्रश्न पूछने और चुनाव प्रक्रिया को देखने का अधिकार। आप जिस व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं, यदि वह आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता, तो उसे किसी उत्तर के लिए आपको सही व्यक्ति के पास अवश्य भेजना चाहिए। यदि आप रुकावट डालते हैं, तो वह आपको उत्तर देना बंद कर सकता है।
- 10** किसी अवैध या धोखाधड़ी वाली चुनाव गतिविधि के बारे में किसी चुनाव अधिकारी या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कार्यालय को सूचित का अधिकार।
 - 🌐 वेब से www.sos.ca.gov पर
 - ☎ फोन द्वारा (888) 345-2692 पर
 - ✉ ईमेल द्वारा elections@sos.ca.gov पर

यदि आपको लगता है कि आपको इनमें से कोई अधिकार दिए जाने से मना किया गया है, तो कृपया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की गोपनीय टोल-फ्री वोटर हॉटलाइन को (888) 345-2692 पर फोन करें।